भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2129
उत्तर देने की तारीख: 12.05.2016

प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत राशि

2129. श्री शमशेर सिंह मन्हासः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) के अंतर्गत विद्यार्थियों को निधियां प्रदान की गई हैं, यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत वार्षिक रूप से ऐसे विद्यार्थियों को स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004 से प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शामिल किये गए जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) के विद्यार्थियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) छात्रवृत्ति योजना में शामिल किये गए विद्यार्थियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): जी, हां। विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस और छात्रावास प्रभार के लिए छात्रवृत्ति, उच्चतम सीमा के आधार पर वितरित की जा रही हैं, बशर्तें, यह योजना में दिया गया हो या वास्तविक रूप से में, जो भी कम हो। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि उनके द्वारा रसीदों/दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने पर वितरित की जाती है।

योजना के अनुसार प्रतिवर्ष ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की अधिकतम छात्रवृत्ति राशि निम्नानुसार है:-

विषय	**ट्यूशन फीस**	**छात्रावास शुल्क**
सामान्य डिग्री	30,000/- रू. तक	1 लाख रू. तक
इंजीनियरिंग	1.25 लाख रू. तक	1 लाख रू. तक
चिकित्सा/बीडीएस	3 लाख रू. तक	1 लाख रू. तक

(ख) और (ग): यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए अनुमोदित विद्यार्थियों का ब्यौरा http://www.aicte-india.org/renewal.php. पर दिया गया है। विद्यार्थियों का जिला-वार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता। विद्यार्थियों का वर्ग-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**कुल लाभार्थियों की संख्या**	**वर्ग**		
			सामान्य	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**
1.	2012-13	3775	3587	63	125
2.	2013-14	4585	4130	211	244
3.	2014-15	2949	2690	161	98
4.	2015-16	3742	3259	241	242

*****